"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 फरवरी 2016—— माघ 17, शक 1937

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक 09/एल 8–9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.— यतः, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 का अनुसरण करते हुये, अधिसूचना क्रमांक 02/एल 8–9(पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ एवं 243–म द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य वित्त आयोग, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नलिखित के संबंध में अनुशंसा देगा–

(क) निम्नलिखित को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में,–

(एक) राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं (जैसी भी स्थिति हो) के मध्य वितरण, जो संविधान के भाग 9 और 9क के अधीन उनमें विभाजित किये जायें, को तथा सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को,

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी, और

(तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को;

(ख) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक अध्युपायों और अनुशंसायें करने सहित निम्नलिखित के संबंध में–

(एक) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा संग्रहित कर एवं करेतर राजस्व व्यवस्था के युक्तियुक्तकरण, और संसाधन सृजित करने की नवीन संभावनाओं को चिन्हांकित करने, विशेषतः ऐसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार उद्गृहित करने, ताकि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ति हो सके;

(दो) स्थानीय शासनों के द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बाजार से ऋण लेने की संभावना, एवं इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था;

(तीन) स्थानीय शासनों की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता का विकास;

(चार) स्थानीय शासनों के राजकोषीय निष्पादन के अनुश्रवण को सुधारने;

(पांच) राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने;

(छः) स्थानीय शासनों द्वारा व्यय में मितव्ययता और दक्षता हासिल करने;

(ग) स्थानीय शासनों के स्वामित्व एवं उन्हें स्थानांतरित आस्तियों के संधारण की लागत को राज्य, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के मध्य बांटने;

(घ) नगरीय स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक–निजी भागीदारी की संभावनाओं;

(ङ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, मध्यवर्ती/विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय पंचायतों को निधियों के न्यागमन हेतु व्यवस्था; और

(च) पंचायतों द्वारा बनाई आस्तियों को नगरपालिकाओं को अंतरित करने के लिए, क्षतिपूर्ति के उपयुक्त प्रावधान, जिसमें उनसे (उन आस्तियों से) संग्रहित राजस्व सम्मिलित है, की व्यवस्था।

2. आयोग, उसकी अनुशंसाएं करने में, अन्य विचारण सहित, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा,–

(एक) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन पर होने वाली राजकोषीय मांगें;

(दो) स्थानीय निकायों के संबंध में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं; और

(तीन) केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को दी गई निधियां।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2016

क्रमांक 10/एल 8–9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र.—– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 09/एल 8–9 (पार्ट)/2016/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 06 फरवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 6th February 2016

NOTIFICATION

No.09/L 8-9(Part)/2016/Fin/FCC.— Whereas, the State Finance Commission has been constituted, in pursuance of Articles 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), vide notification number no. 02/L 8-9(Part) /2016 /Fin. /FCC, dated 20th January, 2016;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Articles 243-I and 243-Y of the Constitution of India, the State Finance Commission shall review the financial position of Panchayats and Municipalities and make recommendations as to—

(a) the principles which should govern,—

(i) the distribution between the State and the Panchayats or the Municipalities (as the case may be) of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under Parts IX and IX-A of the Constitution and the allocation between the Panchayats and Municipalities, as the case may be, at all levels of their respective shares of such proceeds,

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Panchayats and Municipalities, and

(iii) the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities from the Consolidated Fund of the State;

(b) the need to improve the financial position of the Panchayats and the Municipalities, and to make recommendations, including in respect of,–

(i) rationalising the taxes and non-tax revenues being collected by the Panchayats and Municipalities, and identifying new possibilities for generating resources, in particular the levy of user charges on services rendered by such bodies, in order to cover operation and maintenance costs;

(ii) the potential of local governments to raise funds from financial institutions and the market, and a framework for this;

(iii) improving local governments capacity of financial management;

(iv) improving the monitoring of the fiscal performance of local bodies;

(v) providing incentive for higher revenues;

(vi) achieving economy and efficiency in expenditure by local governments;

(c) the need for sharing between the State, the Panchayats and Municipalities, the cost of maintenance of assets owned by local bodies as well as those transferred to them;

(d) the potential for Public-Private Partnership with special reference to urban local bodies;

(e) the arrangement for devolution of funds to the Intermediate/Block and District level Panchayats, in view of the fact that as per Fourteenth Finance Commission's recommendations grants-in-aid shall be provided only to Village Panchayats for delivering basic services; and

(f) the arrangement for suitable provision to compensate for, including through distribution of revenues collected from assets made by the Panchayats which have been transferred to Municipalities.

2. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other consideration to,—

(i) the fiscal demands on the State Government in view of the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005;

(ii) the recommendations of the Fourteenth Finance Commission with regard to local bodies; and

(iii) Central sector programmes and centrally sponsored schemes under which funds are provided to local bodies.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.